न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 69/25 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/111

उनवान

शराब पुत्र रहमत जाति मेव निवासी लुकेरी तहसील फिरोजपुर झिरका जिला मेवात नूह हाल आबाद थलचाना तहसील पहाड़ी जिला डीग। .....अपीलान्ट

बनाम

1. नसरु पुत्र स्व. मुंशी
2. कमरूद्दीन पुत्र रहमत
3. धुड्ड पुत्र रहमत
4. रमजन पुत्र जहाज
5. मुहरु पुत्र जहाज
6. फाजू पुत्र जहाज
7. फौजू खॉ पुत्र रहमान
8. मुवीन पुत्र रहमान
9. हाकम पुत्र रहमान
10. धुड पुत्र दीनू
11. इसमाइल पुत्र शेरखां
12. हाजी आजाद पुत्र सहजमल
13. सिराजू पुत्र सहजमल
14. हक्कू पुत्र सहजमल
15. पप्पू पुत्र सहजमल

जाति मेव, निवासी थलचाना तहसील पहाड़ी जिला डीग।

16. वसीना पत्नी उमरमोहम्मद जाति मेव, निवासी थलचाना तहसील पहाडी जिला डीग।
17. रहमती पत्नी समीखॉ जाति मेव निवासी थलचाना तहसील पहाडी जिला डीग।
18. हमीदी पत्नी सिरदार मौहम्मद
19. महमूदी पत्नी मौहम्मद इलियास

जाति मेव निवासी रेवास, तहसील नूह जिला मेवात हरियाणा

20. तहसीलदार पहाड़ी
21. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा कठौल पहाडी जिला डीग।
22. मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जुरहरा तहसील कामां जिला डीग।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 87/71 बउनवानी मुंशी बनाम तहसीलदार पहाड़ी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.1971 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग, दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री पंकज कुमार उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक : 03.06.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा मु.स. 87/71 बउनवानी मुंशी बनाम तहसीलदार पहाड़ी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.1971, दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता स्व. मुंशी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई दवामी का अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी 20, 36, 64, 166, 144, 577, 582, 583, 1136, 1211, 1221, 1222, 1246, 1156, 1162, 1148 जिसके हाल खसरा नम्बर 22, 38, 78, 144, 164, 712, 722, 723, 947, 1658, 1659, 1643, 1644, 1705, 1706, 892, 893, 901, 902, 968 वाके ग्राम थलचाना तहसील पहाड़ी जिला डीग में स्थित है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता/वादी स्वयं को उक्त विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने के लिए एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबंद कराने के लिए दावा पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया तथा उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.12.1971 को निर्णय पारित करते हुए वादी/रेस्पोडेन्ट का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज कुमार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट्स बावजूद तामील अनुपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के किसी भी प्रावधान के तहत रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता मुंशी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में ना तो अपीलान्ट और न ही स्व. मगरी हाजिर हुई तो जबाबदावा पेश करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलान्ट उस समय नाबालिग था और स्व. उजीरी जो कि अपीलान्ट की नानी थी का देहान्त हो गया था, उनके द्वारा कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये आज्ञा पारित की है जो काबिल निरस्तनीये है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी तथ्य पर गौर नहीं किया कि वक्त दावा अपीलान्ट नाबालिग था जिसका वली सरपरस्त रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता स्व. मुंशी द्वारा नहीं बताया गया और एकतरफा में ही दावा डिक्री कर दिया। आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीये है। मृतक उजीरी अपीलान्ट की नानी थी और अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में कर दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि दावा दायर करने से पूर्व स्व. उजरी की मौत हो चुकी थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिक्री एक मृतक व्यक्ति के विरुद्ध पारित की गई है जो काबिल निरस्तनीय है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा में पारित डिक्री व निर्णय हैं जिसकी कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। मौके पर आराजी पर कब्जा प्रार्थी का है। दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थीगण मौके पर आये और प्रार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी देते हुए मौके से बेदखल करने की धमकी दी। इस पर प्रार्थी ने पत्रावली का पता लगाया और दिनांक 19.03.2025 को नकल के लिये आवेदन किया। नकल दिनांक 21.03.2025 को मिलने पर अपने अभिभाषक से मिला और समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कर होने जानकारी व मिलने नकल से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार कर देरी माफ की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील डिक्री व निर्णय निरस्त किये जावे।

6. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.1971 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 30.04.2025 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

7. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जबाब पेश किया है एवं न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा में पारित डिक्री व निर्णय हैं जिसकी कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थीगण मौके पर आये और प्रार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी देते हुए मौके से बेदखल करने की धमकी दी। इस पर प्रार्थी ने दिनांक 19.03.2025 को नकल के लिये आवेदन किया एवं नकल दिनांक 21.03.2025 को मिलने पर अपने अभिभाषक से मिला और समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कर होने जानकारी व मिलने नकल से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। इस प्रकार उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता स्व. मुंशी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई दवामी का अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विवादित आराजी 20, 36, 64, 166, 144, 577, 582, 583, 1136, 1148, 1156, 1211, 1221, 1222, 1246, 1159, 1162 वाके मौजा थलचाना सब तहसील पहाड़ी के सम्बन्ध में पेश किया था। जिसमें यह अभिवचन किया था कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 तरतीवी की वादग्रस्त भूमि निस्फ–निस्फ काश्त की भूमि है। सम्वत 2016 से बहैसियत शिकमी रही है। सबूत में नकल डिक्री शामिल है। आराजी मुतदाविया पर वादी व प्रतिवादी नं. 4 की काश्त होने व प्रतिवादी नं. 3 के द्वारा काश्त न होने के कारण प्रतिवादी नं. 3 के हकूक काश्तकारी सम्वत 2026 के अन्त में हो गए और वादी व तरतीवी प्रतिवादी नं. 4 खातेदारी के अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। इस अम्र का इस्तकरार पाने व कागजात पटवार में इन्द्राजात को दुरुस्त करा पाने के मुस्तहक है। विनाय दावा दिनांक 20.02.1971 को प्रतिवादी नं. 2 के द्वारा धमकी देने से तथा खसरा के इन्द्राजात का इल्म होने से बमुकाम थलचाना सब–तहसील पहाडी में पैदा हुई। इस्तकरार हक इस अम्र कि वादग्रस्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी नं. 4 तरतीवी निस्फ–निस्फ हकूक खातेदारी प्राप्त कर चुके हैं और प्रतिवादी नं. 3 की काश्तकारी के हकूक आराजी मुतदाविया से समाप्त हो चुके हैं। वादी व प्रतिवादी नं. 4 तरतीवी प्रतिवादीगण 1,2,3 को जरिये हुक्म दवामी पाबन्द करा पाने के मुस्तहक हैं।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण 2,3, व 4 ने उपस्थित होकर इकबालदावा पेश किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय द्वारा वादी मुन्शी व तरतीवी प्रतिवादी रहमान को आराजी मुतदाविया का निष्फ–निष्फ का बहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित किया। पत्रावली पर सम्वत 2023–2026 जमाबन्दी ग्राम थलचाना उपलब्ध है जो प्रदर्शित नहीं की गयी है तथा इस जमाबन्दी में लाल स्याही से यह नोट अंकित किया गया है :–

"दा.खा. 382 दिनांक 29.12.69 में मुताबिक हुक्म श्रीमान एस.डी.ओ. सा. डीग 22.09.69 से ख.न. 1211, 1221, 1222, 1246, 20, 36, 64, 144, 166, 577, 582, 583, 1139, 1156, 1159, 1162, 1148 किता 17 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा बनाम रहमान पुत्र चाहत, मुन्शी बल्द रहमत कौम मेव सा.देह शिकमी काश्तकार बहिस्सा बराबर दर्ज हुए सम्वत 2019 से।"

इस प्रकार मुख्य रुप से उक्त नोट के आधार पर यह मानकर कि वादी एवं प्रतिवादी नं. 4 शिकमी दर्ज हैं, वादी के कथन की पुष्टि होती है तथा इकबाल दावा पेश करदा प्रतिवादीगण से वादी का तथ्य पूर्ण रुप से प्रमाणित है, दावा काबिल डिक्री के है, वादी मुन्शी व तरतीवी प्रतिवादी रहमान को आराजी मुतदाविया का निस्फ–निस्फ का बहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि वादी मुन्शी एवं रहमान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग में प्र.स. 281/69 (SIC 281/68) अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर अपने आपके शिकमी काश्तकार घोषित कराया था, जिसकी अपील न्यायालय हाजा में पेश होने पर अपील सं. 68/25 में निर्णय दिनांक 03.06.2026 द्वारा उक्त शिकमी इन्द्राज विधि विरुद्ध पाए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री अपास्त किए जा चुके हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। जिससे जैर अपील निर्णय एवं डिक्री भी स्वतः ही अपास्त होते हैं क्योंकि जैर अपील निर्णय एवं डिक्री उक्त शिकमी घोषित किये जाने की (प्र.स. 281/68) प्रविष्टि के आधार पर ही दावे के वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 4

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

को खातेदार घोषित किया गया था। अतः इस प्रकरण को भी अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.1971 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के क्रम में उभयपक्ष की समुचित सुनवाई की जाकर, साक्ष्य–सबूत लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 06.07.2026 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के समक्ष उपस्थित हों।
10. निर्णय आज दिनांक 03.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर